

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (कैडर रिव्यू) अलेसे-I/ 8873-88

दिनांक :- 11-03-2014

कैडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या 56/2013-14

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक प.7 (19) राज/2/2013 जयपुर, दिनांक 31.05.2013, 12.07.2013 एवं दिनांक 24.02.2014 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में राजस्व विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को शामिल किया जाता है:-

क्र. स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ.	लेखाकार	क.ले.
1.	तहसीलदार, टाटोटी, अजमेर	-	-	01
2.	तहसीलदार, विजयनगर, अजमेर	-	-	01
3.	तहसीलदार, गडरारोड़, बाडमेर	-	-	01
4.	तहसीलदार, धोरीमन्ना, बाडमेर	-	-	01
5.	तहसीलदार, गांगड़तलाई, बांसवाडा	-	-	01
6.	तहसीलदार, अंबापुरा, बांसवाडा	-	-	01
7.	तहसीलदार, गनोडा, बांसवाडा	-	-	01
8.	तहसीलदार, मूंडवा, नागौर	-	-	01
9.	तहसीलदार, सेमारी, उदयपुर	-	-	01
10.	तहसीलदार, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर	-	-	01
11.	तहसीलदार, कोटखावदा, जयपुर	-	-	01
12.	तहसीलदार, मालाखेडा, अलवर	-	-	01
13.	तहसीलदार, तिवरी, जोधपुर	-	-	01
14.	तहसीलदार, झोतरीपाल, डूंगरपुर	-	-	01
15.	तहसीलदार, अराई, अजमेर	-	-	01
16.	तहसीलदार, दूनी, टोंक	-	-	01
17.	तहसीलदार, लोहावट, जोधपुर	-	-	01
18.	तहसीलदार, दूदू, जयपुर	-	-	01
19.	तहसीलदार, मासलपुर, करौली	-	-	01
20.	तहसीलदार, रामगढ़ पंचवारा, दौसा	-	-	01
21.	तहसीलदार, सावर, अजमेर	-	-	01
22.	तहसीलदार, गोविन्दगढ़, अलवर	-	-	01
23.	तहसीलदार, समदडी, बाडमेर	-	-	01
24.	तहसीलदार, गीडा, बाडमेर	-	-	01
25.	तहसीलदार, लवाण, दौसा	-	-	01
	योग	-	-	25


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

दिनांक :- 11-03-2017

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 8873-98

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3- तहसीलदार सम्बन्धित।
- 4- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 5- निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- 6- पदस्थापन सहायक अलेसे- III विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)